



25

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2017 पुनरीक्षण

मा/वि/राज/मुरैना/प्रकरण/2017/2523

श्री. सुदेश बेलापुरकर व  
द्वारा आज दि. 21/8/2017 को  
प्रस्तुत  
श्री. सुदेश बेलापुरकर  
वकील ऑफ कोर्ट 2-8-17  
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश

1. क्षत्रपाल पुत्र जगन्नाथ प्रसाद शर्मा
2. सेवक. शर्मा
3. पप्पू पुत्रगण बालमुकुन्द शर्मा
4. रामदीनानाथ उर्फ रामदीन शर्मा  
पुत्र हुब्बलाल शर्मा
5. रामनिवास शर्मा पुत्र रघुनाथ शर्मा
6. खचेरा शर्मा
7. सुरेन्द्र शर्मा पुत्रगण दीनानाथ शर्मा  
समस्त निवासी ग्राम-पढावली  
तहसील व जिला-मुरैना म.प्र.  
विरुद्ध  
मध्यप्रदेश शासन

अपर आयुक्त जिला-मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 187/2013-14/अपील में पारित आदेश दिनांक 03/05/2017 के विरुद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा-50 मध्यप्रदेश मू-राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं-


1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त विवादित आदेश एवं आवेदकगण के विरुद्ध की गयी कार्यवाही अवैध, अनियमित एवं मनमानी होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, आवेदकगण ने किसी भी शासकीय भूमि से कोई उत्खनन नहीं किया है आवेदकगण के विरुद्ध उत्खनन किया जाना किसी भी वैध साक्ष्य से प्रमाणित न होते हुये पारित किये गये विवादित आदेश न्यायायिक प्रक्रिया के पूर्णतः विपरीत है एवं अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि, आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष कारण बताओं सूचना पत्र का विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया था जिसमें उत्खनन किया जाना अस्वीकार करते हुये निवेदन किया था कि आवेदकगण के विरुद्ध स्थापित की गयी कार्यवाही समाप्त की जायें।
4. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष शासन की ओर से नायब तहसीलदार एवं खनिज निरीक्षक के कथन कराये गये थे दोनो साक्षियों के कूट परीक्षण के पश्चात यही निष्कर्ष निकाला जाना चाहिये था कि आवेदकगण द्वारा उत्खनन किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।

Belapurkar  
21/8/2017

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III/निगरानी/मुरैना/भू0राज0/2017/2523

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-9-2017	<p>उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अपर आयुक्त चम्बल संभाग के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 03-5-2017 की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि खनिज निरीक्षक मुरैना एवं अपर तहसीलदार बानमोर द्वारा ने औचक निरीक्षण किया जहां प्रश्नाधीन सर्वे कमाकों पर पत्थर उत्खनन करते हुये पाया गया। मौके पंचानामा सहित प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुरैना द्वारा प्रकरण कायम कर आवेदकों कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया तथा आवेदक के जबाव प्राप्त करने के उपरांत अवैध उत्खनन सिद्ध पाते हुये आदेश पारित कर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश को कलेक्टर मुरैना एवं अपर आयुक्त चम्बल द्वारा स्थिर रखा। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होने से यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;"> (एस0एस0 अली) सदस्य</p>	